न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलक्टर
सीमलवाडा जिला डुंगरपूर राजस्थान

पीठासीन अधिकारीः–
राकेश कुमार न्योल

प्रकरण सख्याः–85/2024 रेवेन्यु
निर्णय दिनांकः–24.07.2024

1 श्री कमला पिता सोमा जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी रोडा फला गन्दवा तहसील झौथरीपाल जिला डूंगरपुर राजस्थान

वादी

बनाम

1 श्री भूमिधारी तहसीलदार झौथरीपाल जिला डुगंरपूर राजस्थान।

प्रतिवादीगण

वाद अर्न्तगत धारा 136 भु राजस्व अधिनियम सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी
अधिवक्ता वादीः– कालुराम डामोर उपस्थित

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार हैकि वादी गांव रोडा फला गन्दवा तहसील झौथरीपाल जिला डूंगरपुर राजस्थान के स्थायी निवासी है। वादी के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी ग्राम वाणीयातालाब पटवार हल्का गन्दवा में खाता संख्या 129, खसरा नम्बर 6865/483, 6866/488, खेत किता 2. कुल रकबा 0.5501 हैक्टेयर होकर स्थित है। इसी प्रकार मौजा गन्दवा पटवार हल्का गन्दवा में खाता संख्या 51, खसरा नम्बर 2477, 2478, 2483, 3056, 3060, 3061, 3062, 3063, 3066, 3068, 3069, 3070, 3071, 3089, 3096 खेत किता 15 कुल रकबा 2.4992 हैक्टेयर में 1/4 हिस्सा हाल जमाबंदी में दर्ज है। तथा वर्तमान में माता वाली के फोत हो जाने से 1/2 हिस्सा का मलिकाना हकदार है। वादी ने मौजा वाणिया तालाब व मौजा गन्दवा, पटवार हल्का गन्दवा कॉलम संख्या 2 में अंकित आराजीयात में अपने हिस्से पर केसीसी ऋण लेने हेतु वादी ने खाते की हाल जमाबंदी नकल निकलवायी तो पता चला की हाल जमाबन्दी मौजा वाणिया तालाब में रूमा पिता सोमा दर्ज है। तथा मौजा गन्दवा में कमा पिता सोमा दर्ज हो गया है। जिस पर वादी ने पटवारी से मिलकर नामान्तरण नकल संख्या 1260 व 1259 की नकल निकलवाई तो पता चला कि विरासती आराजी के मौजा वाणियातालाब के नामान्तरण संख्या 1260 में नाम रूमा पिता सोमा व मौजा गन्दवा के नामान्तरण संख्या 1259 में नाम कमा पिता सोमा खोला गया। जिस पर वादी पटवारी से मिलकर वादी के वास्तविक नाम कमला पिता सोमा दर्ज करने को लेकर शुद्धिकरण करने की बात की तो पटवारी शुद्धिकरण करने से इंकार कर दिया। जिस पर वादी ने प्रतिवादी से मिलकर राजस्व कर्मचारी की लापरवाही के कारण रिकॉर्ड गे गलत नाम दर्ज होने से शुद्धिकरण कर राजस्व रेकोर्ड में वादी का नाम कमला पिता सोमा दर्ज कर ईन्द्राज दुरस्त करने की बात कही तो इन्द्राज दुरूस्ति करने से इंकार कर दिया गया है। जिससे वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया जो वाद म्याद अवधि में पेश है। जरीये इन्द्राज दुरस्ती ग्राम वाणीयातालाब पटवार हल्का गन्दवा में खाता संख्या 129, खसरा नम्बर 6865/483, 6866/488, खेत किता 2, कुल रकबा 0.5501 हैक्टेयर में वादी का नाम रूमा पिता सोमा एवं इसी प्रकार मौजा गन्दवा पटवार हल्का गन्दवा में खाता संख्या 51, खसरा नम्बर 2477, 2478, 2483, 3056, 3060, 3061, 3062, 3063, 3066, 3068, 3069, 3070, 3071, 3089, 3096 खेत किता 15 कुल रकबा 2. 4992 हैक्टेयर में वादी का नाम कमा पिता सोमा दर्ज कर दिया गया है ऐसे में नामान्तरण संख्या 1260 व 1259 के आधार पर वादी का नाम शुद्धिकरण कर कमला पिता सोमा नाम दर्ज कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

विद्वान अभिभाषक ने बहस कर निवेदन किया वादी का वास्तविक नाम कमला पिता सोमा है। वादी के राजकीय दस्तावेजों में भी वादी का नाम कमला पिता सोमा दर्ज अंकित है। जिसका राजस्व रिकॉर्ड में शुद्धिकरण किया जाना आवश्यक है। ऐसे वाद स्वीकार कर डिकी किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

क्रमशः पेज 2 पर

Scanned with OKEN Scanner

हमने विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, हाल जमाबंदी की प्रमाणित प्रति, अन्य दस्तावेजों, पत्रावली एवं तहसीलदार की जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थी का नाम कमला पिता सोमा होना पाया गया है। उस अनुसार प्रार्थी के कब्जे काश्त की विरासती खातेदारी आराजी ग्राम वाणियातालाब पटवार हल्का गन्दवा में खाता संख्या 129, खसरा नम्बर 6865/483, 6866/488 खेत किता 2 कुल रकबा 0.5501 हैक्टेयर एवं में प्रार्थी का नाम कमा पिता सोमा एवं इसी प्रकार मौजा गन्दवा पटवार हल्का गन्दवा में खाता संख्या 51, खसरा नम्बर 2477, 2478, 2483, 3056, 3060, 3061, 3062, 3063, 3066, 3068, 3069, 3070, 3071, 3089, 3096 खेत किता 15 कुल रकबा 2. 4992 हैक्टेयर में प्रार्थी का नाम कमा पिता सोमा दर्ज कर दिया गया है, जिसे शुद्धिकरण कर कमला पिता सोमा नाम दर्ज किया जाना उचित है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम वाणियातालाब पटवार हल्का गन्दवा के खाता संख्या 129 खसरा नम्बर 6865/483, 6866/488, खेत किता 2 कुल रकबा 0.5501 हैक्टेयर में प्रार्थी का नाम रूमा पिता सोमा के स्थान पर कमला पिता सोमा एवं इसी प्रकार मौजा गन्दवा पटवार हल्का गन्दवा के खाता संख्या 51 खसरा नम्बर 2477, 2478, 2483, 3056, 3060, 3061, 3062, 3063, 3066, 3068, 3069, 3070, 3071, 3089, 3096 खेत किता 15 कुल रकबा 2.4992 हैक्टेयर में प्रार्थी का नाम कमा पिता सोमा के स्थान पर कमला पिता सोमा नाम दर्ज किया जाने का तहसीलदार झौंथरीपाल को आदेश दिया जाता है। डिकी पर्चा मुर्तिब किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

निर्णय आदेश आज दिनांक 24.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner